2

पत्रांक 1829 /आयु0क0/उत्तरा0/धारा–57/वा0कर/2009–10/दे0दून

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड,
(धारा–57, अनुभाग)
दिनांकः देहरादून:29 जनवरी, 2009

प्रार्थना पत्र सं0 – 7.12.09
सर्वश्री गर्ग प्रोविजन स्टोर
पीपल मण्डी, देहरादून।
निर्णय का दिनांक– जनवरी 2010,
फर्म की ओर से उपस्थित– श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग फर्म स्वामी।

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा–57 के अन्तर्गत निर्णय।

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग फर्म स्वामी, मैसर्स गर्ग प्रोविजन स्टोर पीपल मण्डी, देहरादून द्वारा उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा–57 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र देते हुये 'बिना जटा वाला सूखा श्रीफल जिसमें कोई गिरी नही होती है, और पूजा, हवन तथा धार्मिक अनुष्ठान सम्पन्न करने हेतु जल में प्रवाहित करने हेतु प्रयुक्त होता है' पर लागू करदेयता के सम्बन्ध में प्रश्न किया गया है।

2. विभागीय मत ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0)वाणिज्य कर, देहरादून सम्भाग, देहरादून द्वारा उपलब्ध करते हुये अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत वस्तु वैट अधिनियम की किसी भी अनुसूची से आच्छादित न होने के कारण 12.5 प्रतिशत की दर से करयोग्य होगी।

3. वाद की सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि को श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग, फर्म स्वामी उपस्थित हुये। उनके द्वारा प्रश्नगत वस्तु जो कि सूखा नारियल है को प्रदर्शित करते हुये इसे धार्मिक अनुष्ठान की सामग्री मानते हुये करमुक्त करने का आग्रह किया गया।

4. मेरे द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तथा प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में फर्म स्वामी द्वारा रखे गये तथ्यों व विभागीय मत का अवलोकन किया गया। मूल्यवर्धित कर अधिनियम की अनुसूची 1 के कमांक–32 पर " सुगन्धित बत्तियॉ जिनको सामान्यतः अगरबत्ती, या धूप बत्ती के नाम से जाना जाता है और हवन सामग्री जिसमें समब्रेनी व लोव्हान भी सम्मिलित है" तथा कमांक 45 पर "धार्मिक संस्थाओं द्वारा बिकी किया गया प्रसाद" को रखते हुये करमुक्त किया गया है । उक्त प्रविष्टियों में व्यापारी द्वारा प्रश्नगत वस्तु बिना जटा वाला सूखा श्रीफल सम्मिलित नही है। वैट अधिनियम की अनुसूची–2 (ख) के तहत नारियल से सम्बन्धित प्रविष्टियां कमशः कमांक 30 पर "खोल में नारियल तथा नारियल की अलग की गयी गिरी और हरा नारियल" तथा कमांक 121 पर "गीला खजूर और नारियल" को रखते हुये इस पर करदेयता 4 प्रतिशत की दर से लागू की गयी है। सूखा नारियल जैसा कि प्रश्नकर्ता द्वारा कहा गया है पूजा/हवन अन्य धार्मिक अनुष्ठानों को सम्पन्न कराने में प्रयुक्त होता है, लेकिन सूखे नारियल का अन्य कार्यो हेतु भी प्रयोग किया जा सकता है। वैट अधिनियम की अनुसूची 1 के तहत हवन सामग्री में प्रयुक्त सामग्री को करमुक्त घोषित किया गया है लेकिन इसमें स्पष्ट रुप से सूखे नारियल को सम्मिलित नही किया गया है। सूखे नारियल को किसी भी रुप में प्रयोग किया जा सकता है, अतः इसे वैट अधिनियम की अनुसूची 2 (ख) के कमांक 121 पर गीला खजूर गीला नारियल से आच्छादित मानते हुये इस पर बिकी के प्रत्येक बिन्दु पर करदेयता 4 प्रतिशत की दर से लागू होगी। इस प्रकार व्यापारी द्वारा पूछे प्रश्न का उत्तर दिया जाता है।

पृ0 2

(3)

इस निर्णय की प्रतिलिपि आवेदनकर्ता तथा सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु पृथक–पृथक भेजा जाय।

27.01.2010

(वी0के0सक्सेना)
एडिशनल कमिश्नर,वाणिज्य कर
मुख्यालय, देहरादून।

पृ0प0सं0 4829/दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड वैभव पैलेस इन्दिरा नगर देहरादून।
2. एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, गढवाल जोन देहरादून/कुमॉऊ जोन रूद्रपुर।
3. एडिशनल कमिश्नर,(आडिट)/(प्रर्वतन) वाणिज्य कर, मुख्यालय देहरादून ।
4. समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0) वाणिज्य कर, देहरादून/ हरिद्वार/ काशीपुर/ हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित की वे उक्त परिपत्र की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों/बार एशोसिएशन के पदाधिकारियों/व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष/सचिव को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।
5. ज्वाइन्ट कमिश्नर (अपील) वाणिज्य कर देहरादून/हल्द्वानी ।
6. ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि0अनु0शा0 /परिवर्तन) वाणिज्य कर हरिद्वार/रूद्रपुर ।
7. बरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त परिपत्र को वाणिज्य कर की बेवसाइट पर प्रसारित करने का कष्ट करें
8. पोर्टल प्रबन्धक, उत्तरा पोर्टल एन0आई0सी0,4 सुभाष रोड़ देहरादून ।
9. संख्या–अनुभाग को इस निर्देश के साथ कि उक्त परिपत्र स्कैन कर व्यापार प्रतिनिधियों/अधिवक्ताओं को ई–मेल द्वार प्रेषित कर दें।
10. नेशनल लॉ हाउस बी–2 गॉर्डन प्लाजा बिल्डिंग अम्बेडकर रोड़ गाजियाबाद।
11. नेशनल लॉ एण्ड मैनेजमेन्ट हाउस–15/5 राज नगर गाजियाबाद।
12. लॉ पब्लिकेशन व्यापार कर भवन, कलैक्ट्रेट कम्पाउण्ड, राजनगर गाजियाबाद।
13. कार्यालय अधीक्षक की केन्द्रीय गार्ड फाईल हेतु ।
14. विधि–अनुभाग की गार्ड फाईल हेतु।

27.01.2010

एडिशनल कमिश्नर,वाणिज्य कर
मुख्यालय, देहरादून।

01L